न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, गुडामालानी (बाड़मेर)

पीठासीन अधिकारी श्री प्रमोद कुमार आर.ए.एस

प्रकरण संख्याः 06 / 2022

प्रार्थीगण :–

1. आसूराम पुत्र करनाराम
2. जोगाराम पुत्र पेमा
3. मंगलाराम पुत्र करनाराम
4. राणाराम पुत्र करनाराम
5. वागाराम पुत्र करनाराम
6. सावंलाराम पुत्र करना
7. जाति राईका निवासी जूनी उन्दरी तहसील नौखड़ा जिला बाड़मेर

बनाम

विप्रार्थीगण :–

1. भूपा पुत्र खेमा
2. भावाराम पुत्र जूंजाराम
3. मोहनराम पुत्र जूंजाराम
4. रखाराम पुत्र जंजाराम
5. शंकराराम पुत्र जूंजाराम
6. सूजादेवी पत्नी जूंजाराम
7. सवाराम पुत्र खीमाराम
8. केसीदेवी पत्नी मांगाराम
9. गोमाराम पुत्र नरसींगाराम
10. चूनी पुत्री तुलछाराम
11. जोगाराम पुत्र नरसींगाराम
12. जोगाराम पुत्र तुलछाराम
13. ठाकराराम पुत्र तुलछाराम
14. नेनाराम पुत्र मांगाराम
15. प्रकाश पुत्रतुलछाराम
16. बाबूराम पुत्र नरसींगाराम
17. मथरोदवी पत्नी तुलछाराम
18. मालू पुत्री तुलछाराम
19. मोटाराम पुत्र नरसींगाराम
20. लेहरोदेवी पत्नी नरसींगाराम
21. लेरोंदेवी पत्नी नरसींगाराम
22. सिमरथाराम पुत्र मांगाराम
23. केसाराम पुत्र नन्दराम
    जाति राईका निवासी जूनी उन्दरी तहसील नौखड़ा जिला बाड़मेर
24. तहसीलदार गुडामालानी

Signature Not Verified

Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2022.09.19 16:02:48 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थितः–

1. श्री डालूराम चौधरी अधिवक्ता प्रार्थीगण
2. अप्रार्थीगण – अनुपस्थित

–:: आदेश ::–

दिनांक :– 22/5/22

उपखण्ड अधिकारी, गुडामालानी

प्रार्थीगण ने यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 सपठित धारा 128 रा.भू.रा. अधिनियम हेतु,नेखम पैमाईश जरिये पत्थर गढी का विप्रार्थीगण के विरूद्ध पेश किया। प्रकरण दर्ज कर विप्रार्थीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। विप्रार्थीगण के विरूद्ध बावजूद नोटिस तामील अनुपस्थित रहने से एक पक्षीय कार्यवाही की गई।

हमने प्रार्थीगण के अधिवक्ता श्री डालूराम चौधरी की बहस सुनी एवं पत्रावली का अवलोकन किया। न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत जमाबन्दी संवत् 2071–2074 सरहद मौजा जूनी उन्दरी के खेत खसरा नम्बर 172/3, 233/3, 254/3 रकबा क्रमशः 2.8004, 2.0477, 2.1125 हैक्टेयर का अवलोकन किया। जिसमें प्रार्थीगण का नाम बतौर खातेदारी दर्ज है। प्रार्थीगण की भूमि के चारों ओर सीमा चिन्ह व पक्की माठे नहीं होने से काश्त व प्राकृतिक पैदावार लेते समय तनाव व विवाद की स्थिति पडौसी खातेदारों के साथ उत्पन्न हो जाती है जिससे बचने के लिये प्रार्थीगण अपनी भूमि की पक्की नेखमबन्दी करवाना चाहते है। ऐसी स्थिति में दोनों पक्षकारों की उपस्थिति में विवादित भूमि का सीमाज्ञान करवाकर पक्के नेखम स्थापित करवाने में कोई आपत्ति प्रतीत नहीं होने एवं प्रार्थीगण विवादित भूमि का राजस्व अभिलेख में खातेदार दर्ज होने से प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार गुड़ामालानी को आदेशित किया जाता है दोनों पक्षकारों की उपस्थिति में विवादित खसरा सरहद मौजा जूनी उन्दरी के खेत खसरा नम्बर 172/3, 233/3, 254/3 रकबा क्रमशः 2.8004, 2.0477, 2.1125 हैक्टेयर के सम्बन्ध में सीमाज्ञान करवाकर चारों ओर पक्के नेखम स्थापित करावें। पक्के नेखम स्थापित करवाने हेतु तहसीलदार गुड़ामालानी को 500/– शुल्क पर कमीश्नर नियुक्त किया जाता है। कमीश्नर शुल्क प्रार्थीगण मौके पर अदा करेंगे। आवश्यकता होने पर तहसीलदार गुड़ामालानी को थानाधिकारी पुलिस थाना RGT रावलीनाडी नगर से पुलिस इमदाद प्राप्त करने हेतु अधिकृत किया जाता है। तहसीलदार गुड़ामालानी बाद पालना, पालना प्रतिवेदन प्रेषित करे। तहरीर जारी हो। पालना प्रतिवेदन प्राप्त होने पर शामिल पत्रावली किया जावे। पत्रावली बाद तकमील तैयार होकर दाखिल दफ्तर हो।

Signature Not Verified

Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2022.09.19 16:02:48 IST
Reason: SelfAttested

आदेश आज दिनांक ....20/9/22.......... को खुले न्यायालय सुनाया गया।

(प्रमोद कुमार)
उपखण्ड अधिकारी, गुड़ामालानी